सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 20, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 09, 2022 *Magha 20, Wednesday , Saka 1943- February 09, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2021

जी.एस.आर.409 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 259 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 259 के विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कनिष्ठ अभियंता के पद राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे।"

[संख्या एफ4(4)संशो.नियम/विधि/पंरा/2022/101]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. प्रेम सिंह चारण,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, February 08, 2022

G.S.R.409 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 259.- The existing sub-rule (5) of rule 259 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 shall be substituted by the following, namely:-

"(5) The post of junior engineers shall be filled in by direct recruitment as per the procedure prescribed under the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998."

[NO.F.4 (4) Ame. Rules/LEGAL/PR/2022/101]
By Order of the Governor,
Dr. Prem Singh Charan,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.